लांजवती बाई व अन्य बनाम गुरचरण सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 2021/020

08.09.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित । पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। शेर सिंह पुत्र स्व. गोपाल सिंह जाति लबाना निवासी चक 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि – प्रार्थी के पिता के खिलाफ एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर टी एक्ट का पेश किया हुआ है जो आज की तारीख पेशी में मुकर्रर है। प्रार्थी के पिता गोपाल सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति लबाना सिख निवासी गांव कोनी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से मुश्तर्का खाता में वाके चक 3 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं. 12/110 में 2109/6541 हिस्सा है जो हमारे कब्जा काश्त में है। प्रार्थी के पिता गोपाल सिंह की मृत्यु दिनांक 29–1–2023 को हो चुकी है। प्रार्थी के पिता ने मरने से पूर्व एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रार्थी के नाम से की हुई है जिसके आधार पर प्रार्थी के नाम से इंतकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है। प्रार्थी के पिता के फौत होने के कारण प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है। इसलिए गोपाल सिंह का वारिस होने के कारण प्रतिवादी गोपाल सिंह के पुत्र शेर सिंह पुत्र गोपाल सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति लबाना सिख निवासी 5 पी बड़ी कोनी तहसील श्रीगंगानगर को प्रतिवादी गोपाल सिंह की जगह पक्षकार बनाया जावे। अतः प्रार्थना–पत्र अं.आ. 1 नियम 10 सी पी सी मय शपथ–पत्र पेश करके अर्ज है कि मृतक प्रतिवादी गोपाल सिंह के स्थान पर उसके पुत्र शेर सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति लबाना निवासी चक 5 पी बड़ी कोनी, तहसील श्रीगंगानगर को उसके स्थान पर पक्षकार बनाया जावे।
एवं प्रार्थी रवि कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति अरोडा निवासी चक 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 सीपीसी के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि – प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी गुरचरण सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति लबाना सिख निवासी कोनी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जो इस दावे में पक्षकार है, से प्रार्थी रवि कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति अरोड़ा निवासी चक 5 पी बड़ी, कोनी, तहसील श्रीगंगानगर ने प्रतिवादी गुरचरण सिंह के हिस्से की भूमि चक 3 एफ बड़ा तहसील 23 श्रीगंगानगर के खाता सं. 12/110 मुरब्बा नम्बर 50,51 में उनके हिस्से की 1091/6541 हिस्सा यानि 0.189है. लगभग 15 बिस्वा खरीद की है। रजि. बैयनामा की फोटो प्रति सलंग्न प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थी को उक्त अनवानी पत्रावली में पक्षकार बनाया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थी जो कि प्रतिवादी गुरचरण सिंह के हिस्से की 0.189 है. लगभग 15 बिस्वा का जरिये रजि बैयनामा खरीददार है इसलिए प्रार्थी आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थी को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जावे।

जिस पर अधिवक्ता वादी श्री बलराम स्वामी द्वारा पेश होकर **NO OBJECTION** किया गया।

अतः प्रार्थी शेर सिंह पुत्र स्व. गोपाल सिंह जाति लबाना निवासी चक 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं प्रार्थी रवि कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति अरोडा निवासी चक 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगा[illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 सी पी सी स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी शेर सिंह को प्रतिवादी संख्या 2/1 पर एवं प्रार्थी रवि कुमार को प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से को जारी किया गया। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 15.09.2025 को पेश हो।